दिनांक 05.03.2021 को पूर्वाहन 10.00 बजे माननीय मंत्री, कृषि की अध्यक्षता गें विभाग के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि की उप समिति I तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की उप समिति II की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : दिनांक 05.03.2021 को माननीय मंत्री, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित बैठक गें माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, कृषि तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, गव्य विकास, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, बिहार, पटना/उप महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना/सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, पटना/भारतीय स्टेट बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/यूनियन बैंक/बैंक ऑफ इंडिया/सेन्ट्रल बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/केनरा बैंक एवं अन्य प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।

सचिव, कृषि विभाग द्वारा राज्य बैंकर्स कमिटी की उप समिति I एवं II में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए माननीय मंत्री, कृषि एवं माननीय मंत्री, पशुपालन को सभी सदस्यों से परिचय कराया गया। तत्पश्चात बैठक हेतु निर्धारित कार्यावली के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. बैठक में सर्वप्रथम KCC की समीक्षा की गई, जिसमें नए KCC में अबतक लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि मात्र 23.5% प्रतिवेदित किया गया था। SLBC के सहायक महाप्रबंधक–सह–संयोजक श्री अजीत कुमार मिश्रा से KCC अन्तर्गत ऋण स्वीकृति में इतने कम उपलब्धि का कारण जानना चाहा। जिसपर उनके द्वारा बताया गया कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूर्व के वर्षो की भांति इस वर्ष की उपलब्धि कम रही है परन्तु इस वर्ष last quarter में उपलब्धि improve होने की बात उनके द्वारा बताया गया। जिससे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा नाराजगी प्रकट की गई। उन्होने बैंकों यथा यूको बैंक–8.34%, पंजाब नेशनल बैंक – 39%, आई० डी० बी० आई – 8%, बैंक ऑफ इंडिया 22.8% इत्यादि के performance से अवगत कराते हुए कहा कि इतनी कम उपलब्धि पर बिहार का विकास कैसे होगा? सरकारी बैंकों का performance आशा से बहुत कम है जो खेद का विषय है। KCC ऋण स्वीकृति में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंकों के अच्छी उपलब्धि पर उनकी सराहना भी की गई।
2. KCC एवं Allied sector में काफी कम उपलब्धि पर माननीय मंत्रीगण में काफी क्षोभ था। दिनांक 31.12.2020 तक पशु एवं मत्स्य संसाधन से संबंधित प्रतिवेदन इस प्रकार प्रतिवेदित था : Dairy में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 7.97%, Fishery में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 1.08% तथा Poultry में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 1.48% । माननीय मंत्री, कृषि ने कहा कि बैंकों में बिहार की काफी राशि जमा होती है तथा राशि बिहार के विकास में न खर्च होकर बाहर के

प्रांतो के विकास में खर्च किया जा रहा है जो काफी दुखदायी एवं अस्वीकार्य है। बैंकों को हिदायत देते हुए माननीय मंत्रीगण ने कहा कि इस तरह बैंकों का performance रहा तो भारत सरकार द्वारा उच्च स्तर पर इसकी समीक्षा करायी जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्राईवेट बैंक अच्छा कैसे कर रहे हैं, उसके अपेक्षा सरकारी बैंकों का performance इतना दयनीय क्यों है? इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

3. सचिव, कृषि ने कहा कि सिर्फ बैठक तक विकास की सारी बाते होती है, परन्तु बैठक के बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसके लिए जिम्मेवारी तय करने की आवश्यकता है तथा समय–समय पर बैंकों के performance के संबंध में बैंकों के शीर्ष स्तर पर सघन अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता है।

4. डेयरी में ऋण प्रवाह का जिक्र करते हुए प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड ने कहा जितना आवेदन बैंकों को अग्रसारित किया जाता है उतना आवेदन बैंकों द्वारा नहीं लिया जाता है। लौटाये गये आवेदनों को पुनः हमलोगों के द्वारा डाक से भेजा जाता है। पोर्टल पर दिखाये जाने वाले आवेदन की संख्या से कम आवेदन प्राप्त होने की जानकारी बैंक के पदाधिकारियों द्वारा दिया गया। इस पर प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड ने बताया कि अगर बैंकों में 80,000 आवेदन ही प्राप्त हुए है तो कम–से–कम उतने ही आवेदनों पर ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना चाहिए। सचिव महोदय ने इसपर स्पष्ट करते हुए कहा कि KCC ऋण में LPC की आवश्यकता होती है परन्तु Allied activity में LPC की बाध्यता नहीं होने के बावजूद बैंकों के द्वारा डेयरी, मत्स्य तथा मुर्गीपालन में ऋण स्वीकृत क्यों नहीं किया जा रहा है? यह खेद का विषय है।

5. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(PM-Kisan) के लाभुकों को KCC से आच्छादित करने से संबंधित अभियान के संबंध में माननीय मंत्रीगण को अवगत कराते हुए कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि PM-Kisan के लाभुकों को KCC से आच्छादित करने का अभियान चलाया गया था। इस दौरान दिनांक 21.03.2020 तक किसानों के द्वारा भरे गये आवेदनों की संख्या 4,69,524 थी। इसके विरूद्ध बैंक में जमा किये गये आवेदन 3,70,504 था तथा बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदन की संख्या मात्र 50,678 थी। इस उपलब्धि पर भी माननीय मंत्रीगण द्वारा नाराजगी जताई गई तथा उन्होंने निदेश दिया कि जिला स्तर पर अनुश्रवण कर तत्परता से PM-Kisan से सम्बद्ध KCC ऋण प्रदान कर ऋण की प्रवाह में तेजी लायी जाय।

6. KCC एवं Allied activity में ऋण प्रवाह संतोषजनक हो सके इसके लिए बैंकों से सुझाव आमंत्रित किये गये। जिसपर बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि प्रखंड स्तर पर एक कैम्प लगाया जाय जिसमें CO के कार्यालय के प्रतिनिधि Register -2 लेकर बैठे तथा

आवेदकों को LPC (Land Possesion Certificate) के आधार पर on spot KCC ऋण स्वीकृत किया जाय। इस सुझाव से माननीय मंत्रीगण संतुष्ट नहीं हुए।

7. केन्द्र चालित कृषि आधारभूत संरचना निधि योजना (AIF) के प्रगति के संबंध में सचिव, कृषि के द्वारा जानकारी दी गयी कि बैंकों में दिनांक 01.02.2021 तक कुल 70 आवेदन जमा हुए परन्तु किसी भी बैंकों के द्वारा अभी तक एक भी आवेदक का ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सका है। इस नये योजना से किसानों एवं कृषि उद्यमियों को 3% अनुदान पर अधिकतम 2 करोड़ रू० तक बैंकों से ऋण की स्वीकृति मिलनी है। इस योजना के कार्यान्वयन का उदेश्य किसानों के आय में वृद्धि करना है। परन्तु यहाँ भी बैंकों के उदासीन रवैया से अध्यक्ष महोदय द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि बैंकों के इस रवैये से किसानों का कल्याण संभव नहीं हो पायेगा। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि शीघ्र इसका समाधान ढूंढा जाय तथा किसानों को ऋण स्वीकृत कराने में बैंक प्राथमिकता के आधार पर कार्य करे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

17.3.21

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1637 दिनांक : 23-3-2021

प्रतिलिपि : सहायक महाप्रबंधक–सह–संयोजक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, प० गाँधी मैदान, पटना/नहाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, गाँधी मैदान के समीप, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला, डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.21

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1637 दिनांक : 23-3-2021

प्रतिलिपि : निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि०, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.21

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1637 दिनांक : 23-3-2021

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार/अपर निदेशक(शाख), बिह.र, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक(अभियंत्रण), बिहार, पटना/ संयुक्त कृषि निदेशक(सा०), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक(अभि०) भूमि संरक्षण–सह–प्रभारी पदाधिकारी, डी० बी० टी० कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.21

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1637 दिनांक : 23-3-2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19.3.21

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1637 दिनांक : 23-3-2021

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.21

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1637 दिनांक : 23-3-2021

प्रतिलिपि : उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी संबंधित पदाधिकारियों को ईमेल के माध्यम से सूचित करना सुनिश्चित किया जाय।

19.3.21

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।